बीरम बनाम चरण सिंह वगैरह (/2023)

आदेश दिनांक 26.12.2023

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 13.12.2023 को प्रार्थना पत्रों पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि दावाकृत भूमि ग्राम धोलादाता न्यारा में स्थित भूमि खाता संख्या 43/44 के हाल खसरा नम्बर 1028/1336 रकबा 0.15 है., 1052 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.16 है., खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 745 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 746 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 751 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 751/1303 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 753/1321 रकबा 0.03 है0 व खाता संख्या 44/93 के खसरा नम्बर 750 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.04है0, एवं खाता संख्या 103/97 के खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.04 है0 एवं खाता संख्या 103/97 के खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.30है0, खसरा नमबर 1414/463 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1417/1114 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 1422/1182 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 752 रकबा 0.20 है0 भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है तथा अपीलार्थी काबिज चला आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्राथीगण का प्रार्थना पत्र संख्या 71/2021 में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बिना किसी आधार के पारित की गयी के आदेश की लगातार निरन्तर तारीख पेशीयॉ नियत की जा रही है जबकि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.08.2022 को जवाब प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु आज दिनांक तक बहस नहीं हुई जिससे नकल दिनांक 12.10.2023 को प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है जिसमें देरी क्षमा योग्य है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 01.10. 2021 के स्थगन आदेश का जवाब प्रस्तुत किया गया के पश्चात भी स्थगन पर बहस की सुनवाई नहीं होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गयी। जिसमें देरी क्षमा योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थी की अपील अन्दर मियाद व जानकारी से पेश करने से मियाद अवधि क्षमा की जाकर अपील ग्रहण करने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करावें।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन में निवेदन किया कि ग्राम धोलादाता न्यारा में स्थित भूमि खाता संख्या 43/44 के हाल खसरा नम्बर 1028/1336 रकबा 0.15 है., 1052 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.16 है., खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 745 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 746 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 751 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 751/1303 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 753/1321 रकबा 0.03 है0 व खाता संख्या 44/93 के खसरा नम्बर 750 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.04है0, एवं खाता संख्या 103/97 के खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.04 है0 एवं खाता संख्या 103/97 के खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.30है0, खसरा नमबर 1414/463 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1417/1114 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 1422/1182 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 752 रकबा 0.20 है0 पर भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है तथा अपीलार्थी काबिज चला आ रहा है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र संख्या 71/2021 में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बिना किसी आधार पर पारित की गयी जिससे अपीलार्थी को रेस्पोडेन्टस भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा भूमि में अपीलार्थी के कब्जे काश्त में दखल बाधा कारित कर रहे है तथा अपीलार्थी भूमि का उपयोग उपभोग नहीं कर रहा है जिससे स्थगन आदेश दिनांक 01.10.2021 की क्रियान्विति प्रभाव स्थगित की जावें। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील ग्राम धोलादाता न्यारा में स्थित भूमि खाता संख्या 43/44 के हाल खसरा नम्बर 1028/1336 रकबा

26.12.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

0.15 है., 1052 रकबा 0.12, खसरा नम्बर 1104 रकबा 0.16 है., खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 1213 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 1214 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.26 है., खसरा नम्बर 745 रकबा 0.06, खसरा नम्बर 746 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 751 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 751/1303 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 753/1321 रकबा 0.03 है0 व खाता संख्या 44/93 के खसरा नम्बर 750 रकबा 0.03है0, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.04है0, एवं खाता संख्या 103/97 के खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 760 रकबा 0.04 है0 एवं खाता संख्या 103/97 के खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.30है0, खसरा नमबर 1414/463 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 1417/1114 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 1422/1182 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 752 रकबा 0.20 है0 पर अधीनस्थ न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 01.10. 2021 की क्रियान्विति एवं प्रभाव को स्थगित किया जाने का आदेश पारित करने के लिए आदेश पारित किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.10.2021 का है और अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 25.10.2023 को प्रस्तुत की गई हैं। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार विवादित भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है और अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है और रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत 212 के प्रार्थना पत्र संख्या 73/2021 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है। अपीलांट के द्वारा दिनांक 25.8.2022 को जवाब भी प्रस्तुत कर दिया है मगर लगातार पेशियां दी जाती रही है, और बहस नहीं सुनी जाकर निर्णय नहीं दिया गया। दिनांक 12.10.2023 को नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। देरी को क्षमा किया जाए। पत्रावली का अवलोकन किया गया रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 पर प्रथम सुनवाई दिनांक 1.10.2021 को ही रिकार्ड की यथास्थिति बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश उपखण्ड अधिकारी न्यायालय नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 73/2021 में दिया जाना पाया जाता है। उक्त आदेश में अगली पेशी दिनांक 2.11.2021 तय की गई। दिनांक 25.8.2022 को वर्तमान अपीलांट बीरम पुत्र ज्वारा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर दिया जाना पाया जाता है। न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 9.10.2023 तक बहस नहीं सुनी गई ना ही आदेश अंतिम रूप से दिया गया ऐसी स्थिति में अपीलांट के पास अपील करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। अपीलांट पक्ष द्वारा दिनांक 12.10.2023 को नकल प्राप्त करना पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 3ए सीपीसी की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.10.2021 की आड में रेस्पोडेंट अपीलार्थी को भूमि से बेदखल करने पर आमादा है, और अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी कर रहे है जिस वजह से अपीलांट भूमि का उपयोग व उपभोग नहीं कर पा रहा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदु अपने पक्ष में बताया अंत में अपीलाधीन आदेश की कियान्विति व प्रभाव को स्थगित किए जाने के आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

वकील अपीलांट के आग्रह पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस में वकील अपीलांट द्वारा बताया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद में घोषणा का वाद दायर किया है और अपना जन्म से ही विवादित भूमि में हक बताया है। 212 के प्रार्थना पत्र दिनांक 1.10.2021 को प्रस्तुत हुआ था और उपखण्ड न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा वर्तमान रेस्पोडेंट के पक्ष में जारी की गई है। जबकि भूमि पुश्तैनी नहीं होकर स्वअर्जित है, अधीनस्थ न्यायालय में रजिस्ट्री की कॉपी पेश की गई थी अन्य सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाया। रेसपोडेंट का कोई कब्जा नहीं है खातेदार को पाबंद नहीं किया जा सकता जवाब हमने दिनांक 25.8.2022 को दे दिया था आर्डर 39 रूल 3ए सीपीसी की पालना नहीं हुई है। रेसपोडेंट बीरम अपीलांट के पौते है। अंत में फाईल को रिमाण्ड करने हेतु निवेदन किया।

लगातार..

26.12.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.10.2021 का अवलोकन किया गया। बहस बिंदुओं पर मनन किया। जमाबंदी ग्राम धोलादाता (न्यारा) जमाबंदी संवत 2075 खाता संख्या नया 43 के अनुसार विवादित कुल खसरा नम्बर 12 हैं। रकबा 1.3600 है0 है और उक्त खाते में 5 सहखातेदार है। गौरी पत्नी ज्वारा 1/8 हिस्सा छोटू उर्फ छगना पुत्र देवा हिस्सा 1/2 बादामी पुत्री अम्बा हिस्सा 1/8 विरमा पुत्र ज्वारा हिस्सा 1/8 रणदीप सिंह पुत्र घुमा हिस्सा 1/8 रिकार्ड में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। स्पष्ट है कि अपीलांट बिरमा विवादित भूमियों में 1/8 हिस्से का सहखातेदार है। यह भी सही है कि अपीलाधीन प्रकरण में अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 1.10.2021 के द्वारा रेवेन्यू रिकार्ड की यथास्थिति बाबत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 25.8.2022 को अपना जवाब प्रस्तुत किया था। उक्त जवाब प्रस्तुत होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय को यह चाहिए था कि वह प्रार्थना पत्र में अंतिम बहस सुनकर उचित निर्णय आदेश प्रदान करता मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के मार्ग दर्शक सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में वर्तमान रेस्पोडेंट से यह अपेक्षा की थी कि वह भूमि के पुश्तैनी होने बाबत दस्तावेजात प्रस्तुत करे उसके ऐसा नहीं करने पर पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को वेकेट रूपांतरित किया जा सकता था, जबकि जवाब भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदु देखना चाहिए था जो कि उसके द्वारा नहीं किया गया। राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलांट कि स्थिति खातेदार कृषक की है तथा स्थगन आदेश की वजह से उसे ही परेशानी है। रेस्पोडेंट द्वारा न्यायालय में भूमि के पुश्तैनी बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण होने से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 1.10.2021 को अंतरिम रूप से स्थगित किया जाता है, और पत्रावली को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि आगामी तीन सप्ताह में अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण का अंतिम निस्तारण करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

26.12.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
झुंझुनूं